कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 557 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित* सहायक अध्यापिकाओं (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) — विषयः–कला

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती लीला रावत	रा.क.उ.मा.वि. भटवाड़ी	उत्तरकाशी	रा0क0उ0मा0 पोड़ी (नगर)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19466-74 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल **(द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी)** को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 540 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनाँक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण.

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनाँक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक / शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) — विषयः–कला

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुनन्दा	रा.इ.का. नागथात	देहरादून	रा.इ.का. भानियावाला (ढोईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री संजय कुमार	रा.इ.का. चम्बा	टिहरी	सिन्धवालगांव (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	आसमा मंसूरी	रा.उ.मा.वि. लसेरा	पौड़ी	रा.इ.का. कोटद्वार (दुगड्डा)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती शिल्पी नेगी	रा.उ.मा.वि. चोपड़ा मल्ला	पौड़ी	रा.इ.का. सुखरौ (दुगड्डा)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19315-23 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 537 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / XXiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवार्ये–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की ***धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक / शिक्षिकाओं*** *के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख ***स्तम्भ–5*** में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) — विषयः–गणित

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गिरिराज सिंह त्यागी	रा.इ.का. चाकीसैंण	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. पथरी गुज्जरबस्ती (बहादराबाद)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती रूचि नेगी	रा.इ.का. चोपडियूँ	पौड़ी	रा.इ.का. गुजराड़ा (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री मनोज राणा	रा.उ.मा.वि. बांस काटल	टिहरी	रा0इ0का0 मुनिकीरेती (मसूरी)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19287–96 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 555 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित ***"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"*** में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की ***धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित*** *सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–विज्ञान

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मधु कुकशाल	रा.क.इ.का. लम्बगांव	टिहरी	रा.क.इ.का. राजपुर रोड (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19448-56 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल **(द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी)** को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 ***सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।***
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 556 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित* सहायक अध्यापिकाओं (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–सामान्य

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती लक्ष्मी चौहान	रा.क.उ.मा.वि. उखीमठ	रूद्रप्रयाग	रा.क.इ.का. ज्वालापुर (बहादराबाद)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति
2	श्रीमती प्रभा कुंवर सजवाण	रा.क.उ.मा.वि. मयाली	रूद्रप्रयाग	रा.क.उ.मा.वि. पौड़ी (पौड़ी)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19457–65 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल **(द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी)** को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 558 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण.

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित* सहायक अध्यापिकाओं (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) — विषयः–व्यायाम

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुनीता गुसांई	रा.क.इ.का. रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रा.क.इ.का. श्रीनगर (खिर्सू)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त के प्रति
2	ज्योत्सना	रा.क.इ.का. लैन्सडाउन	पौड़ी	रा.क.उ.मा.वि. सुनारगांव (डोईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति
3	भावना नेगी	रा.क.उ.मा.वि. मलेथा	टिहरी	रा.क.उ.मा.वि. लालपानी (दुगड्डा)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19475–83 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल **(द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी)** को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 559 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (ब) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) — विषयः–गृह विज्ञान

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मीनाक्षी	रा.क.इ.का. थलनदी	पौडी	रा.क.उ.मा.वि. खडखड़ी (बहादराबाद)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति
2	हिमानी धवन	रा.क.इ.का. लम्बगांव	टिहरी	रा.क.इ.का. ज्वालापुर (बहादराबाद)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19484-92 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 554 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–अंग्रेजी

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती विमला नेगी	रा.क.इ.का. थलनदी	पौड़ी	रा.क.इ.का. ज्वालापुर (बहादराबाद)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19439-47 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 553 /3क(2)/स्था0/2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A)/xxiv–2/2013–32 (01) /2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें–2/56033–38/स्थाना0/2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–हिन्दी

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रजनी रावत	रा.क.इ.का. लैन्सडाउन	पौड़ी	रा.क.इ.का. कौलागढ़ (सहसपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा0/ 19430–38 /3क(2)/स्था0/2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल **(द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी)** को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 545 /3क(2)/स्था0/2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A)/xxiv–2/2013–32 (01) /2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें–2/56033–38/स्थाना0/2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–व्यायाम

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती दीपमाला लिंगवाल	रा.क.इ.का. एकेश्वर	पौड़ी	रा.क.उ.मा.वि. रायपुर (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा0/19360–68/3क(2)/स्था0/2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 544 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषय:–सामान्य

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिया	रा.क.इ.का. लैन्सडाउन	पौड़ी	रा.क.इ.का. सहिया (कालसी)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19351–59 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र, जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 543 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की ***धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षिकाओं*** *के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख ***स्तम्भ–5*** में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–गणित

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती हेमवन्ती सती	रा.क.उ.मा.वि. घाट (घाट)	चमोली	रा.क.इ.का. अजबपुरकलां (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19342–50 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (**द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी**) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 542 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013.

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण.

उत्तराखण्ड़ शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड़ शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड़ देहरादून के पत्रांक / सेवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (महिला संवर्ग) विषयः–अंग्रेजी

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रचना राणा	रा.क.इ.का. पुरोला	उत्तरकाशी	रा.क.उ.मा.वि. ब्रह्मपुरी (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19333–41 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड़, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड़, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड़ शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्ड़ल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 552 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सबायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) विषयः–सामान्य

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मंजू कुकरेती	रा.उ.मा.वि. मुसेटी	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. मदरसू (विकासनगर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति
2	श्रीमती कुसुम बुटोला	रा.इ.का. चौरिया	रूद्रप्रयाग	रा.इ.का. डांग कडाकोट (कीर्तिनगर)	टिहरी	उपलब्ध रिक्त के प्रति
3	श्रीमती उमा बिष्ट	रा.इ.का. कनखुल	चमोली	रा.उ.मा.वि. तांसीपुर (रूडकी)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19421–29 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 551 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) विषयः–विज्ञान

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सोफिया	रा.उ.मा.वि. कल्डियाणी	उत्तरकाशी	रा.इ.का. थानो (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19412–20 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 550 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित सहायक अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) विषयः–अंग्रेजी

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	दीपाली	रा.उ.मा.वि. कोरबा	देहरादून	रा.इ.का. छरबा (सहसपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति
2	श्रीमती ममता सोम	रा.इ.का. ओड़डा	टिहरी	रा.उ.मा.वि. शेरगढ़ (डोईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति
3	श्रीमती हेमलता डबराल	रा.इ.का. सारी	पौड़ी	रा.इ.का. मालदेवता (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त के प्रति
4	रजनी पांचाल	रा.उ.मा.वि. गल्याखेत	टिहरी	रा.उ.मा.वि. राणसुरा (बहादराबाद)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति
5	नीलू शर्मा	रा.इ.का. मुस्टिकसौड़	उत्तरकाशी	रा.उ.मा.वि. गाजामझरा (भगवानपुर)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19403–11 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 549 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड भासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / XXiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनाक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3) (च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित* सहायक अध्यापिकाओं (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषयः–हिन्दी

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मंजू जुयाल	रा.इ.का. पाबौ	पौड़ी	रा.इ.का. जामलाखाल (कोट)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त के प्रति
2	श्रीमती सुधा रानी	रा.उ.मा.वि. क्यारीनगुण	टिहरी	रा.इ.का. ओड़ाडा (नरेन्द्रनगर)	टिहरी	उपलब्ध रिक्त के प्रति
3	श्रीमती रश्मि चमोली	रा.उ.मा.वि. तलेवन	टिहरी	रा.इ.का. गूलरदोगी (नरेन्द्रनगर)	टिहरी	उपलब्ध रिक्त के प्रति
4	श्रीमती मीना जखमोला	रा.उ.मा.वि. बरसूडी	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. सत्तीचौड (दुग्गड़ा)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19394–402 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल **(द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी)** को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 548 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(घ) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को* मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी *से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिका* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम–महिला संवर्ग — विषयः–गणित

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती गीता कश्यप	रा.क.इ.का. ऋषिकेश	देहरादून	रा.क.उ.मा.वि. हर्रावाला (डाईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19385–93 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापिका के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *संबंधित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित सहायक अध्यापिका को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षिका से उनके विक्षिप्त बच्चे का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सा परिषद से निर्गत हो, से प्रमाणित करने के उपरान्त छाया प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 547 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(घ) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को* मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी *से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम–सामान्य संवर्ग — विषयः–गणित

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रेनू खण्डूडी	रा.इ.का. देवलकोट	चमोली	रा.उ.मा.वि. सिकरौड़ा (भगवानपुर)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19377-85 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *संबंधित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित सहायक अध्यापक / अध्यापिका को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से उनके विक्षिप्त बच्चे का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सा परिषद से निर्गत हो, से प्रमाणित करने के उपरान्त छाया प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 546 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(घ) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को* **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी** *से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम–सामान्य संवर्ग

विषयः–हिन्दी

क्र0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती हंसा देवी	रा.इ.का. चम्पेश्वर	पौड़ी	रा.इ.का. गुजराड़ा (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19369 – 77 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *संबंधित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित सहायक अध्यापक / अध्यापिका को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से उनके विक्षिप्त बच्चे का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सा परिषद से निर्गत हो, से प्रमाणित करने के उपरान्त छाया प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 541 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण.

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक / शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) विषयः–व्यायाम

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ममता पैन्यूली	रा.इ.का. भरेटीधार	टिहरी	रा.उ.मा.वि. पशुलोक (डोईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री बीर बिक्रम सिंह रावत	रा.इ.का. गोनीखाल	टिहरी	रा.इ.का. कीर्तिनगर (कीर्तिनगर)	टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19324-32 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 538 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण.

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक / शिक्षिकाओं* के *चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) विषयः–विज्ञान

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मनोज कुमार सेमवाल	रा.इ.का. टिकोची	उत्तरकाशी	रा.उ.मा.वि. ईड धनारी (डुण्डा)	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती जया बहुगुणा	रा.इ.का. बाड़ा	रूद्रप्रयाग	रा.इ.का. स्वीत (खिर्सू)	पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती गीता रानी	रा.इ.का. त्रिजुगीनारायण	चमोली	रा.उ.मा.वि. चौली शहाबुद्दीन (भगवानपुर)	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19297-305 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 536 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / XXIV–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन मे नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक / शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) — विषयः–अंग्रेजी

क्र0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री चन्द्र दत्त डंगवाल	रा.इ.का. पडागली	टिहरी	रा.इ.का. आई.डी.पी. एल. ऋषिकेश (डोईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री किशोर सिंह जयाड़ा	रा.उ.मा.वि. खरसाली	उत्तरकाशी	रा.उ.मा.वि. नगांणगांव (नौगांव)	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री रंजन सिंह लिंगवाल	रा.इ.का. दोन्दल	पौड़ी	रा.इ.का. थानो (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19278–86 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय–मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा0अरा0 / 535 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक 14 नवम्बर 2013

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–201(A) / xxiv–2 / 2013–32 (01) / 2013 देहरादून दिनॉक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित *"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एंव स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013"* में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सवायें–2 / 56033–38 / स्थाना0 / 2013–14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की *धारा–11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक / शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं* (स्नातक वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख *स्तम्भ–5* में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग) — विषयः–हिन्दी

क0 सं0	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती राजेश्वरी कैन्तुरा	रा.इ.का. पंजिटिलानी	देहरादून	रा.इ.का. सेलाकुई (सहसपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री ललित मोहन जोशी	रा.इ.का. नागराजाधार बमुण्ड	टिहरी	रा.इ.का. आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश (डोईवाला)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती सरिता भण्डारी	रा.इ.का. नागनाथ पोखरी	चमोली	रा.उ.मा.वि. झीबरहेड़ी (सहसपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती संजू बाबुलकर	रा.उ.मा.वि. जाजरी	पौड़ी	रा.इ.का. मालदेवता (रायपुर)	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा0अरा0 / 19270-78 / 3क(2) / स्था0 / 2013–14 दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों / प्रधानाचार्यो को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5 संबंधित वित्त अधिकारी।
6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7 *सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करना / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।*
8 संबंधित अध्यापक / अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9 कार्यालय आदेश पंजिका।
10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी